बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना

(DEPT. OF HR & ADMINISTRATION)
(Regd. Office:- Vidyut Bhawan, Bailey Road, Patna)
Contact No.: 7763817975,7763818077, email-dgmhr1015.bsptcl@gmail.com, website-www.bsptcl.in
TIN VAT NO-10011257007, TIN CST NO-10011146136, CIN- U74110BR202SGC018889

संकल्प सं.- T-I/DP/CE-41004/2022 2761 पटना, दिनांक- 20/11/2025

श्री सत्यनारायण कुमार (Emp.ID- E02152), तदेन मुख्य अभियंता (O&M), संचरण कंपनी, मुख्यालय, पटना सम्प्रति महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर के विरुद्ध संकल्प सं.2320 दिनांक 10.09.2024 के साथ संलग्न आरोप-पत्र में विनिर्दिष्ट कर्तव्य के निष्पादन में लापरवाही एवं शिथिलता के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में डॉ. सुनील कुमार झा, सेवानिवृत्त उप विकास आयुक्त, बिहार सरकार को जाँच पदाधिकारी एवम् श्री शशिकान्त कुमार, तदेन प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

डॉ. सुनील कुमार झा, जाँच पदाधिकारी ने अपने कार्यालय पत्रांक 03 दिनांक 07.01.2025 द्वारा अंतिम जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। विभागीय कार्यवाही में श्री सत्यनारायण कुमार के विरुद्ध मूलतः चार आरोप लगाये गये थे, जो निम्नानुसार है-

आरोप-1 GSS Begusarai में 132 के.वी. तथा 33 के.वी. स्विचयार्ड के बीच दो खराब ट्रांसफॉर्मर (S.No.5787, 5788) वर्ष 2019 (जुलाई तथा दिसम्बर) से रखे हुए थे। M/s IMP Power (OEM) के प्रतिनिधियों द्वारा नवम्बर-2019 में इन दोनों ट्रांसफॉर्मर का Inspection करने के पश्चात यह बतलाया गया था कि इनकी मरम्मती Site पर संभव नहीं है। लगभग एक वर्ष छः माह के बाद दिनांक 24.05.2021 को M/s IMP Power Ltd. के Workshop में मरम्मती हेतु ले जाया गया। इसके लिये श्री सत्यनारायण कुमार के द्वारा M/s IMP Power (OEM) को संबोधित करते हुए LOI No. 01 दिनांक 06.04.2021 निर्गत किया गया। इस पत्र के कंडिका-05 के अनुसार उक्त दोनों ट्रांसफॉर्मर के Transit Insurance करने की जिम्मेवारी मुख्य अभियंता (ओ.एंड एम.), कंपनी मुख्यालय को ही थी। उक्त तथाकथित दोनो ट्रांसफॉर्मर को 220/132/33 के.वी. ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय परिसर से M/s IMP Power (OEM), सिलवासा, दादर एवं नगर हवेली भेजे जाने के पूर्व Transit Insurance नहीं कराया गया, जिससे कंपनी को 62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) रुपये मात्र की आर्थिक क्षति हुई। इस प्रकार श्री सत्यनारायण कुमार (Emp.ID- E02152), तदेन मुख्य अभियंता (ओ.एंड एम.) सम्प्रति महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन,भागलपुर का उक्त कार्य कर्तव्य में घोर लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

आरोप-2 श्री सत्यनारायण कुमार द्वारा अपनी उक्त लापरवाही को छुपाने के लिए अपने कार्यालय के पत्रांक 356 दिनांक 18.10.2021 द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय को सूचित किया गया कि उक्त दोनों प्रासंगिक ट्रांसफॉर्मर M/s IMP Power Ltd. के Workshop में मरम्मती हेतु पहुँच चुका है। अतएव, वहाँ से BSPTCL के साइट पर लौटने पर उक्त दोनों ट्रांसफॉर्मर का Transit Insurance कराया जाना है। इस प्रकार श्री कुमार का उक्त कृत्य कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

A

आरोप-3 श्री कुमार, ओ.एंड एम. विभाग, कंपनी मुख्यालय, पटना के कार्यालय आदेश सं. 09 दिनांक 06.08.2021 के द्वारा 220/132/33 के.वी., ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय परिसर में खराब पड़े 50 MVA के दो ट्रांसफॉर्मर में से हुए ट्रांसफॉर्मर ऑयल एवं कॉपर वाइंडिंग की क्षति की जाँच के लिए गठित समिति के सदस्य थे, परंतु उनके द्वारा समिति को Transit Insurance नहीं होने तथा कंपनी को हुई आर्थिक क्षति से अवगत नहीं कराया गया। यदि ऐसा कराया गया होता तो उक्त समिति के प्रतिवेदन में कंपनी को हुए आर्थिक क्षति रुपये में अवश्य परिकलित की जाती। उनका यह कृत्य कर्तव्य में घोर लापरवाही को दर्शाता है।

आरोप-4 महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), संचरण कंपनी मुख्यालय, पटना के पत्रांक 3580 दिनांक 15.12.2020 द्वारा Letter of award for insurance coverage of entire assets & properties of Bihar State Power Transmission Co. Ltd. विषय पर Senior Branch Manager, The New India Assurance Co. Ltd., Branch Office- Saguna More, Danapur- 801503 को पत्र लिखा गया, जिसके कंडिका-10 में प्रावधानित किया गया कि Chief Engineer (O&M), BSPTCL, Patna will be the Chief Claim Officer for all the claim related purposes. उल्लेख करना है कि संचरण कंपनी के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सभी प्रतिष्ठान का 200 (दो सौ) करोड़ रुपये का बीमा था, जिसकी प्रभावी तिथि 15.12.2020 से 14.12.2021 तक थी। इस परिप्रेक्ष्य में मुख्य अभियंता (ओ.एंड एम.), कंपनी मुख्यालय, पटना के द्वारा 220/132/33 के.वी. ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय परिसर में उक्त तथाकथित ट्रांसफॉर्मर से हुई 15,900 किलोग्राम कॉपर वाइंडिंग, जिसकी कीमत 62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) रुपया है, का बीमा दावा की कार्रवाई श्री कुमार के स्तर से अपेक्षित थी, जो नहीं किया गया। श्री कुमार का उक्त कृत्य कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

जाँच पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध लगाये गये आरोप क्रमांक (1) तथा (4) को आंशिक प्रमाणित तथा आरोप सं. (2) तथा (3) को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन, उपस्थापन पदाधिकारी के लिखित प्रतिवेदन एवं आरोपी के लिखित प्रतिवेदन, गवाहों के गवाही एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों की पूर्णरुपेण समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत जाँच पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से निम्न बिंदुओं पर असहमत होते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा संकल्प संख्या 305 दिनांक 29.01.2025 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया-

(i) 220/132/33 के.वी. ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय परिसर में खराब पड़े 50 MVA के दो ट्रांसफॉर्मर में से एक ट्रांसफॉर्मर से हुए ऑयल एवं कॉपर वाइंडिंग की चोरी की घटना दिनांक 05.03.2021 को प्रतिवेदित की गई। उक्त दोनों ट्रांसफॉर्मर को दिनांक 24.05.2021 को ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय से मरम्मती हेतु सिलवासा भेजा गया। तदेन मुख्य अभियंता (O&M) श्री सत्यनारायण कुमार के द्वारा उक्त कार्य हेतु LOI No. 01 दिनांक 06.04.2021 (ट्रांसफॉर्मर भेजे जाने के पूर्व) निर्गत किया गया। इस LOI की कंडिका- 5 के अनुसार दोनों ट्रांसफॉर्मर को 220/132/33 के.वि. ग्रिड उपकेन्द्र, बेगूसराय परिसर से M/s IMP Powers Ltd. (OEM), सिलवासा, दादर एवं नगर हवेली भेजे जाने के पूर्व 'Transit Insurance' की प्रक्रिया पूर्ण कराने का दायित्व मूलतः मुख्य अभियंता (O&M) का ही था, परंतु इसका निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया जिससे कंपनी को बड़े राशि की आर्थिक क्षति हुई।

A

(ii) तदेन मुख्य अभियंता (O&M) के द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक 356 दिनांक 18.10.2021 द्वारा विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय को निदेश दिया गया कि उक्त दोनों प्रासंगिक ट्रांसफॉर्मर M/s IMP Powers Ltd. के Workshop में मरम्मती हेतु पहुँच चुका है। अतएव, वहाँ से BSPTCL के साइट पर लौटने पर उक्त दोनों ट्रांसफॉर्मर का Transit Insurance कराया जाना है। इस प्रकार श्री कुमार का उक्त कृत्य अपनी गलती को छुपाने, कर्तव्य में लापरवाही, उदासीनता एवं स्वेच्छाचारिता को स्पष्टतः प्रमाणित करता है। आरोप सं.-2 के संबंध में आरोपी पदाधिकारी के द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उनके विरुद्ध गठित आरोप की प्रमाणिकता को नकारा जा सके। इस प्रकार आरोपी द्वारा स्वयं के विरुद्ध गठित आरोप को अन्य के ऊपर दोषारोपित करने का प्रयास किया गया है।

(iii) कंपनी को उक्त मामले में रु.62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) मात्र की आर्थिक क्षति हुई है। इस प्रकार जाँच पदाधिकारी के द्वारा आरोप को आंशिक रुप में प्रमाणित किया जाना स्वीकार्य नहीं माना जा सकता है। यदि मुख्य अभियंता (O&M) के द्वारा उक्त 'Transit Insurance' की प्रक्रिया ससमय पूर्ण करा लिया गया होता तो कंपनी को इतनी बड़ी राशि की वित्तीय क्षति नहीं होती।

(iv) महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना के पत्रांक 3580 दिनांक 15.12.2020 की कंडिका-10 में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के संपूर्ण Assets & Properties के क्षति के लिए मुख्य दावा पदाधिकारी मुख्य अभियंता (O&M), BSPTCL को बनाया गया है। संचरण कंपनी के क्षेत्राधिकार में अवस्थित सभी प्रतिष्ठान का 200 (दो सौ) करोड़ रुपये का बीमा था, जिसकी प्रभावी तिथि 15.12.2020 से 14.12.2021 तक थी। परंतु आरोपी पदाधिकारी के द्वारा उक्त मामले में दावे की कार्रवाई नहीं की गई। यदि उनके द्वारा उक्त बीमा के आलोक में दावा की कार्रवाई की जाती, तो कंपनी को बीमा कंपनी से उक्त वित्तीय क्षति की भरपाई अवश्य हो सकती थी। इस संबंध में उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी के समक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

श्री कुमार द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.02.2025 द्वारा उक्त द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा पूर्व में समर्पित तथ्यों को ही दोहराया गया तथा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेखित तथ्यों एवं सभी सुसंगत अभिलेखों की पूर्णरुपेण समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत, सक्षम प्राधिकार द्वारा कंपनी को हुई आर्थिक क्षति राशि रु.62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) मात्र की भरपाई हेतु तदेन महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर, तदेन मुख्य अभियंता (O&M), संचरण कंपनी, मुख्यालय, पटना, तदेन विद्युत अधीक्षण अभियंता, संचरण अंचल, बेगूसराय, तदेन विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, बेगूसराय एवम् तदेन सहायक कार्यपालक अभियंता, संचरण अवर प्रमंडल, बेगूसराय के वेतन से बराबर-बराबर वसूली करने एवम् कर्तव्य में लापरवाही के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के अनुसार वृहत शास्ति (दंड) के अंतर्गत कंडिका-14 (vi) के तहत "तीन वार्षिक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने की शास्ति" अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार, श्री सत्यनारायण कुमार (Emp.ID- E02152), तदेन मुख्य अभियंता (O&M), संचरण कंपनी, मुख्यालय, पटना सम्प्रति महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर को निम्न शास्ति अधिरोपित की जाती है-

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के अनुसार वृहत शास्ति (दंड) के अंतर्गत कंडिका-14 (vi) के तहत तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) ट्रांसफॉर्मर (S.No. 5788) से चोरी हुए 15900 kg Copper Winding के आकलित मूल्य राशि रु.62,90,000/- (बासठ लाख नब्बे हजार) मात्र का पाँचवा भाग अर्थात रु.12,58,000/- (बारह लाख अंठावन हजार रुपये) मात्र की वसूली श्री सत्यनारायण कुमार (Emp.ID- E02152), महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर के वेतन से की जाय।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री सत्यनारायण कुमार (Emp.ID- E02152), महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर को अग्रसारित किया जाय।

आदेशानुसार,

ह./-

(महफूज आलम)

उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

ज्ञापांक- ____________________ /पटना दिनांक- ________________

प्रतिलिपि-अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(महफूज आलम)

उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

ज्ञापांक- 2762 /पटना दिनांक- 20/11/2025

प्रतिलिपि- निदेशक (परिचालन)/निदेशक (परियोजना), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड, पटना/ महाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)/महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, पटना/ श्री सत्यनारायण कुमार (Emp.ID- E02152), महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता, संचरण जोन, भागलपुर को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/11/25

(महफूज आलम)

उपमहाप्रबंधक (मा.सं./प्रशा.)

20.11.25